न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः– 19/2025

प्रार्थीगणः–

1. सुजानसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत
2. देवीसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत
3. वानसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत

निवासी पादरड़ी कल्लां तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. उमसिंह पुत्र जोगसिह जाति राजपूत
3. हनवन्तसिंह पुत्र जोगसिह जाति राजपूत

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री किशोरीलाल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 16.01.2026

यह आवेदन प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत पेश किया गया है, आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 22,24,26 व 28 रकबा 3.2246,1.73343,5.3499 व 5.5190 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरडी कल्लां तहसील सिवाना में अवस्थित है। तहसील सिवाना का नवीन भू–प्रबन्ध करने के दौरान नक्शा तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के पुराने खेत खसरा संख्या 59 रकबा 4.8805 हैक्टेयर के नये भू प्रबन्ध में तरमीम करते समय खसरा संख्या 22,23 व 24 बनाये जिसमें खसरा संख्या 22 व 24 के मध्य गलत तौर सेरास्ता अंकित कर रास्ते के नया खसरा संख्या 23 गलत नक्शा में तरमीम कर दी जबकि मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है लेकिन नक्शाट्रेस में तरमीम का इन्द्राज करत समय त्रुटिवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त तरमीम मे सहवन से रास्ता का गलत इन्द्राज क[illegible] से दर्शा दिया जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है, [illegible] भू–प्रबन्ध के दौरान रकबाकम करने या नक्शा में [illegible] खातेदारी बदलने [illegible] हक अधिकार नहीं है केलव मात्र पुराने खसर[illegible] को नये खसरो में तब्दील [illegible] का ही अधिकार था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत तौर से नक्शा ट्रेस में रास्ते को इन्द्राज कर नये नक्शे व जमाबंदी जारी कर दी जो पुर्णतया त्रुटिवश है तथा अपने आप में अवैध अनुचित व दुरूस्ती योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा सर्वे रिसर्वे के दौरान की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता किशोरीलाल सोनी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसील सिवाना का नवीन भू प्रबन्धन के दौरान ग्राम पादरड़ी कल्लां के पुराने खसरा संख्या 59 रकबा 4.8805 हैक्टेयर का नवीन खसरा संख्या 22,23 व 24 बना, राजस्व कर्मचारियों द्वारा ग्राम पादरडी कल्लां के नवीन भू प्रबन्धन के दौराने पुराने खसरा संख्या 59 का का नवीन खसरा कायम करते समय खसरा संख्या 22 व 24 के मध्य गलत तौर से रास्ता अंकित कर रास्ता का नया खसरा संख्या 23 कायम कर दिया गया, जबकि मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है राजस्व कर्मचारियों को भू प्रबन्धक के दौराने रकबा कम करने या नक्शा में छोडछाड करने का कोई अधिकार नहीं था लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि का नक्शे में हुए त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के पुराने खेत खसरा संख्या 59 के नये खसरा संख्या 22,23, 24 बनाये गये जिसमें खसरा संख्या 22 व 24 के मध्य में अंकित खसरा संख्या 23 नक्शे में तरमीम कर रास्ते के रूप में दर्शाया गया है जो बिल्कुल सही दर्शाया गया है क्योंकि जो रास्ता राजस्व रेकर्ड दर्शाया गया है उक्त रास्ता विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में जाने का एकमात्र रास्ता है। पूर्व में भी खसरा संख्या 23 के स्थान पर कदीमी से अर्थात पूर्वजों के समय से मौके पर रास्ता चला आ रहा है। उक्त रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन तहसील सिवाना के सर्वे –रिसर्वे के दौरान खसरा संख्या 23 पुनः राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्शाया गया है [illegible] के खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है बल्कि [illegible]सी का नाला अर्थात वाला विप्रार्थीगण के खेत के पास से निकला है जिससे विप्रार्थीगण का वारिस के मौसम में अपने खेत में जाने बंद हो जाता है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व में चले आ रहे रास्ता को ही राजस्व रेकर्ड में तरमीम की गई है जो सही हैं लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार सरहद मौजा पादरड़ी कल्लां के खसरासंख्या 22,24,26 व 28 में प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है तहसील सिवाना का नवीन भू–प्रबन्धन के दौरान खसरा संख्या 22 व 24 के मध्य एक नया खसरा संख्या 23 रकबा 0.1520 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया गया, वर्ततान में मौके पर कोई रास्ता नहीं चल रहा है तथा गत रेकर्ड में भी कोई गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं था, तहसीलदार सिवाना द्वारा वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में चल रहे रास्ते को हटाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 22 की पश्चिमी माठ पर दर्ज किया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरड़ी कल्लां तहसील सिवाना के खसरा संख्या 23 रकबा 0.1520 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता की नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 22 के पश्चिमी माठ पर तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' अनुसार रास्ता कायम करते हुये दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 16.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 12/12/2024 02:03:05 PM

जिला :बाड़मेर

तहसील : सिवाना

भू. अ. नि. क्षेत्र :थापन

पटवारी हल्का :कुसीप

ग्राम : पादरड़ी कला

मौके पर रास्ता जहां खसरा संख्या 23 को शिफ्ट किया जाना है।

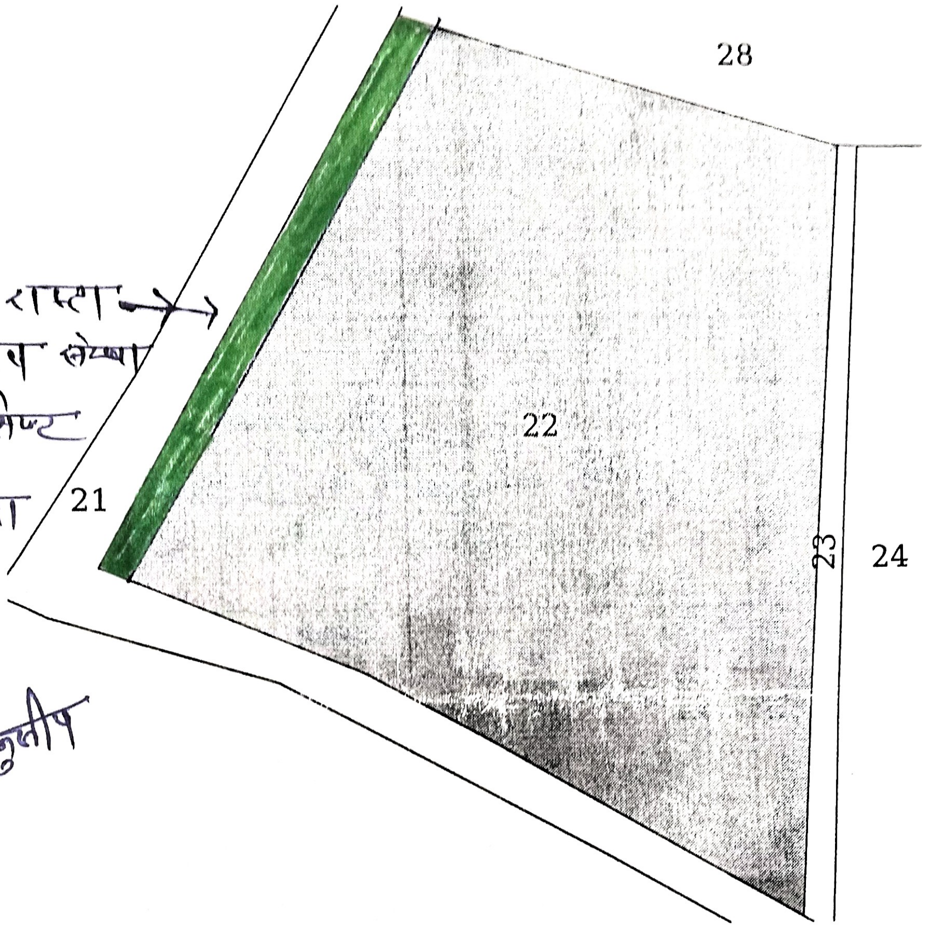

पटवारी कुसीप

Scale 1:2000

खसरा संख्या :22 क्षेत्रफल : 3.2246 Hectare खाता संख्या : 24पुराना खाता संख्या :135
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: मगरा [3.2246, 9.67]
ULPIN no : 83L1QJD5CBK6H0

Ex- Court

सत्य-प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी (भू.अ.) कुसीप